प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली　　　　**दिनाँक 15.01.2026**

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाये। यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. प्रशान्त पुत्र जगत सिहं निवासी ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण

- एक अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री महेन्द्र सिहं थाना छपरौली बागपत

2- है0का0 110 सुबोध कुमार थाना छपरौली बागपत

3-का0 594 सरफराज थाना छपरौली

प्रेस नोट जनपद बागपत

साइबर सेल **दिनाँक 15.01.2026**

साइबर सेल एवं थाना साइबर क्राइम बागपत की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा दिल्ली–सहारनपुर रोड स्थित ईस्टर्न पेरिफेरल फ्लाइओवर के पास से शादी के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राजीय 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत के निर्देशन में जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 15.01.2026 को साइबर सेल एवं थाना साइबर क्राइम, जनपद बागपत की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चैकिंग को दौरान दिल्ली–सहारनपुर रोड स्थित ईस्टर्न पेरिफेरल फ्लाइओवर के पास से शादी के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 03/2026 धारा- 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं धारा 66(D) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में वांछित 02 अभियुक्तों नावेद सलीम व भूरा को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण समाचार पत्रों में शादी के विज्ञापन देकर लोगों को झांसे में लेकर ऑनलाइन ठगी करते थे तथा होटल में ठहरने हेतु कूटरचित आधार कार्ड का प्रयोग करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 08 मोबाइल फोन, एक टेबलेट, 01 कूटरचित आधार कार्ड, 01 बैंक पासबुक, 01 चेक बुक, 03 डेबिट कार्ड एवं नकद धनराशि बरामद की गई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में आवश्यक एवं वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1-नावेद सलीम पुत्र नईम, निवासी गुरुग्राम हरियाणा।

2-भूरा पुत्र शरीफ अहमद, निवासी मैनाठेर, जनपद मुरादाबाद।

पूछताछ का विवरण/अपराध का तरीका:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण से की गई विस्तृत पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त नावेद सलीम मुख्य रूप से ठगी की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करता था, जबकि अभियुक्त भूरा उसके सहयोगी के रूप में बैंक खातों के माध्यम से धनराशि के लेन–देन में संलिप्त था। अभियुक्त नावेद द्वारा समाचार पत्रों में विवाह संबंधी विज्ञापन प्रकाशित कराए जाते थे, जिनमें एक मोबाइल नंबर अंकित रहता था। विज्ञापन पढ़कर जब इच्छुक व्यक्ति संपर्क करते थे तो अभियुक्त स्वयं को विश्वसनीय बताकर विवाह तय कराने का झांसा देता था।

पूछताछ में अभियुक्त नावेद ने स्वीकार किया कि वह लोगों को विश्वास में लेकर उनसे लड़की देखने की बात कहकर उनके घर जाना बताकर तथा रास्ते में अपना एवं अपने परिवार का एक्सीडेंट बताकर तथा फर्जी पुलिस बनकर उनसे मदद के नाम पर अलग–अलग चरणों में ऑनलाइन धनराशि मंगवाता था। पीड़ितों से प्राप्त धनराशि अभियुक्त भूरा के बैंक खाते में ट्रांसफर करवाई जाती थी, जिसे बाद में नकद निकालकर आपस में बाँट लिया जाता था। अभियुक्त भूरा ने भी स्वीकार किया कि वह अपने बैंक खाते का उपयोग ठगी की धनराशि प्राप्त करने हेतु करता था और बदले में उसे कमीशन दिया जाता था। अभियुक्त नावेद द्वारा होटल में ठहरने तथा पहचान छुपाने के उद्देश्य से कूटरचित आधार कार्ड का प्रयोग किया जाता था। पूछताछ में यह भी सामने आया कि अभियुक्त अपने पास एक से अधिक मोबाइल फोन व सिम कार्ड रखते थे, ताकि अलग–अलग पीड़ितों से संपर्क किया जा सके और पकड़े जाने की स्थिति में पहचान छुपाई जा सके। अभियुक्तों द्वारा जानबूझकर फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर आम जनता को ठगी का शिकार बनाया गया।

अभियुक्तगण ने यह भी स्वीकार किया कि वे पूर्व में भी इसी प्रकार से कई व्यक्तियों को विवाह के नाम पर ठग चुके हैं तथा ठगी से प्राप्त धनराशि से अपने दैनिक खर्च पूरे करते थे। पूछताछ से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण योजनाबद्ध तरीके से धोखाधड़ी कर साइबर माध्यमों का दुरूपयोग करते हुए आर्थिक लाभ अर्जित कर रहे थे।

अन्य अपराध/ अपराधिक इतिहास-

अभियुक्त नावेद के विरुद्ध थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत के अतिरिक्त विभिन्न अभियोग पंजीकृत है जो निम्न है-

1. मु०अ०सं०-503/2022 धारा- 420 IPC एवं 66 (D) IT ACT थाना रानीपुर जनपद हरिद्वार उत्तराखंड
2. मु०अ०सं०-385/2019 धारा- 366 IPC थाना मुराद नगर जनपद गाजियाबाद
3. मु०अ०सं०-34/2021 धारा- 420,467,468,471,507 IPC थाना कोतवाली गाजियाबाद जनपद गाजियाबाद

4. मु०अ०सं०-527/2020 धारा- 406,420 IPC थाना सदर बाजार जनपद-शाहजहांपुर
5. मु०अ०सं०-575/2021 धारा- 406,420 IPC थाना कोतवाली उरई जनपद-जालौन
6. मु०अ०सं०-105/22 धारा- 66 (D) IT ACT थाना-नौचंदी जनपद-मेरठ
7. मु०अ०सं०-648/22 धारा- 420 IPC थाना-फरुखाबाद कोतवाली जनपद-फ़तेहगढ़
8. मु०अ०सं०-34/19 धारा- 420,406 IPC & 66 (D) IT ACT थाना-पूरनपुर जनपद पीलीभीत
9. मु०अ०सं०-308/22 धारा- 420,406 IPC थाना-नौझील जनपद मथुरा
10. मु०अ०सं०-92/20 धारा- 420 IPC थाना-कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
11. मु०अ०सं०-308/22 धारा- 420,406 IPC थाना-नौझील जनपद मथुरा
12. मु०अ०सं०-544/21 धारा- 420 IPC & 66 (D) IT ACT थाना-SECTOR-58 जनपद-गौतमबुद्ध नगर
13. मु०अ०सं०-169/22 धारा- 420 IPC & 66 (D) IT ACT थाना-सिविल लाइन जनपद-मुज्जफरनगर
14. मु०अ०सं०-679/24 धारा- 318(4),316(2) BNS थाना-कोतवाली जनपद-बरेली
15. मु0अ0सं0- 03/2026 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं धारा 66(D) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम थाना साइबर क्राइम बागपत ।
16. एकनोलेजमेंट नंबर 23101260004819 लखनऊ उत्तर प्रदेश
17. एकनोलेजमेंट नंबर 23111250189228 बडौत बागपत उत्तर प्रदेश
18. मु0अ0सं0- 03/2026 धारा-318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं धारा 66(D) सूचना प्रौद्योगिकी

बरामदगी का विवरणः-

- 08 मोबाइल फोन
- एक टेबलेट
- 01 कूटरचित आधार कार्ड
- 01 अन्य आधार कार्ड
- 01 पैन कार्ड
- 03 डेबिट कार्ड
- 01 Indian Postal Payment Bank कार्ड
- 01 बैंक पासबुक (Central Bank of India)

- 01 चेक बुक (Central Bank of India)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक कैलाश चन्द्र, प्रभारी साइबर सेल ,बागपत।
2. निरीक्षक संजय शर्मा , साइबर थाना ,बागपत।
3. उ०नि० उपदेश शर्मा , साइबर सेल ,बागपत।
4. उ0 नि0 दिग्विजय सिंह, साइबर सेल ,बागपत ।
5. उ०नि० अमरदीप,साइबर सेल ,बागपत ।
6. उ०नि० सौम्य कृष्णात्रेय,साइबर सेल ,बागपत ।
7. हे०का० 85 रवि शंकर ,साइबर सेल ,बागपत ।
8. का0 953 अंकुल कुमार,साइबर सेल ,बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर **दिनाँक 15.01.2026**

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 01/26 धारा 2(b)(I)/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25000/- रुपये के इनामी व जिला बदर अभियुक्त समीर को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत महोदय के कुशल निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0- 01/26 धारा- 2(b)(I)/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25000/- रुपये इनामी एवं दिनाकं 21.12.2026 से 06

माह के लिये जिलाबदर अभियुक्त समीर को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

समीर पुत्र युसुफ निवासी ग्राम व थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त समीर का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0स0- 01/26 धारा- 2(b)(I)/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिंघावली अहीर बागपत
2-मु0अ0स0- 20/26 धारा -3/10 यू0पी0 गुन्डा नियन्त्रण अधिनियम थाना सिंघावली अहीर बागपत
3-मु0अ0स0 – 153/24 धारा – 457,380 भादवि थाना सिंघावली अहीर बागपत
4-मु0अ0स0 – 258/24 धारा – 305(ए)317(2) बीएनएस थाना सि0 अहीर बागपत
5-मु0अ0स0 – 305/24 धारा – 303(2) बीएनएस थाना खेकडा
6-मु0अ0स0 – 252/24 धारा – 305(ए) बीएनएस थाना दोघट बागपत
7-मु0अ0स0 – 256/24 धारा – 305(ए) बीएनएस थाना दोघट बागपत
8-मु0अ0स0 – 99/24 धारा – 305 बीएनएस थाना बिनौली बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना सिंघावली अहीर बागपत
2- है0का0 689 बिपिन कुमार थाना सिंघावली अहीर बागपत
3-का0 633 जहाँगीर अनुज कुमार थाना सिंघावली अहीर बागपत

उत्तर प्रदेश पुलिस